मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।
(अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन)
पीठासीन अधिकारी :– आशा चौधरी, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या :– 15/2024, सी.आई.एस. नं. :– 15/2024
सी.एन.आर. नं. :– RJDK080001392024
अधिनिर्णय दिनांक :– 27/07/2026

---

1. गंगा पत्नी स्व. उगमाराम, उम्र 60 वर्ष,
2. रूपाराम बीजारणिया पुत्र स्व. उगमाराम, उम्र 27 वर्ष,
3. निकिता चौधरी पुत्री स्व. उगमाराम, उम्र 20 वर्ष,
4. शिल्पा देवी पुत्री स्व. उगमाराम, उम्र 18 वर्ष,

सभी निवासीगण मिण्डिकिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

—— प्रार्थीगण

ब ना म

1. तुलछाराम पुत्र खुमाराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी मिण्डिकिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
(वाहन मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 का रजिस्टर्ड मालिक व चालक)
2. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कार्यालय द्वितीय फ्लोर भगवती भवन एम.आई. रोड़ जयपुर, राजस्थान।
(वाहन मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 की बीमा कम्पनी)

—— अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से	–	अधिवक्ता श्री बिरधाराम चौधरी, श्री राजेश चौधरी, श्री राजेश नंगलिया।
अप्रार्थी सं. 01 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री भंवराराम डूडी।
अप्रार्थी सं. 02 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री रोहित कोठारी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 164 एम.वी. एक्ट

दिनांक :– 27/07/2026

–:: अधिनिर्णय ::–

1. प्रार्थीगण गंगा व अन्य के द्वारा अप्रार्थीगण तुलछाराम व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 164 एम.वी. एक्ट अधिकरण के समक्ष दिनांक 18.03.2024 को पेश किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका एतदद्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.09.2023 को समय सुबह करीब 5:30–6:00 बजे मृतक उगमाराम, तुलछाराम के साथ मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 पर बैठकर अपने गांव मिण्डिकिया से मकराना जा रहे थे। जब वे लाला बाबा की ढाणी के पास बनी पानी की खेली के पास से होकर आगे निकल रहे थे, तभी अचानक एक नीलगाय पानी की खेली की तरफ से आकर मोटरसाईकिल से टकरा गई, जिससे मोटरसाईकिल पर तुलछाराम के पीछे बैठा उगमाराम मोटरसाईकिल से गिर गया, जिससे उसके सिर व शरीर पर जगह–जगह काफी गंभीर व अंदरूनी चोटें आई, जिससे उगमाराम को मकराना अस्पताल लेकर आये, जहां से एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर रैफर किया, जहां पर दिनांक 26.09.2023 को दौराने ईलाज उगमाराम की मृत्यु कारित हो गई। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 के उपयोग–उपभोग के दौरान घटित होने से उगमाराम की मृत्यु हुई। कथित दुर्घटना की मर्ग रिपोर्ट सं. 26/2023 पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुई है, जिसमें बाद अनुसंधान मुकामी पुलिस द्वारा एफ.आर. पेश की गई।

3. उक्त दुर्घटना, लिप्त वाहन के मालिक अप्रार्थी सं. 01 के नियोजन में उसके लाभार्थ–हितार्थ तथा उसके निर्देशानुसार उक्त वाहन का संचालन करने के दौरान घटित हुई है, जिसके कारण कारण प्रार्थीगण ने स्वयं विभिन्न मदों में 18,48,000/–रूपये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होने का अभिवचन किया।

4. अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के अधिकतर पैराओं को स्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का पेश किया कि दिनांक 23.09.2023 को मृतक उगमाराम उसके साथ ही मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर. –7283 पर बैठकर उनके गांव मिण्डिकिया मकराना जा रहे थे, तभी लाला

बाबा की ढाणी के पास बनी पानी की खेली के पास से होकर निकले तो अचानक नील गाय के मोटरसाईकिल के टकरा जाने से मोटरसाईकिल पर पीछे सवार उगमाराम नीचे गिर गया, जिससे उसके चोटें आने के कारण दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गई। उक्त मोटरसाईकिल अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी के यहां बीमित थी। उक्त दुर्घटना में उसकी कोई लापरवाही व असावधानी नहीं रही है। बीमा राशि की अदायगी की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी अप्रार्थी सं. 02 पर है। अतः प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना–पत्र उसके विरूद्ध खारिज किया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी की ओर से क्लेम प्रार्थना के अधिकांश तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर कथन किया है कि मृतक उगमाराम अनाधिकृत रूप से मोटरसाईकिल पर सवार था और मृतक उगमाराम की रिस्क को कवर करने बाबत् प्रीमियम वाहन के स्वामी ने बीमित वाहन का बीमा कराते समय प्रदान नहीं किया था। विधिक रूप से pillion rider की मृत्यु या चोटों की क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए बीमा कम्पनी जिम्मेदार नहीं है। दुर्घटना की दिनांक 23.09.2023 को कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही कोई रोजनामचा उक्त मोटरसाईकिल के विरूद्ध पुलिस थाना मकराना में दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा सोच–समझकर दिनांक 07.10.2023 को अपने ही जान–पहचान के वाहन मालिक व चालक तथा पुलिस से मिलीभगत करके कथित दुर्घटना में उक्त वाहन को लिप्त कर 14 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रकरध 163ए एम.वी. एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं है। वक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी और न ही मोटरसाईकिल का बीमा व आर.सी. पेश की गई है। प्रार्थीगण ने तुलछाराम की इंजरी रिपोर्ट व मेडिकल दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। विशेष कथन में कथन कथित किये कि प्रार्थीगण अथवा बीमित वाहन के स्वामी ने कथित दुर्घटना की कोई सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी। प्रार्थीगण ने राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट 1990 व मोटर यान अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध बीमा कम्पनी मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

6. न्यायालय के समक्ष अवधार्य विवाद्यक बिन्दू निम्न प्रकार से हैं :–

1. आया दिनांक 23–09–2023 को वाहन मोटरसाईकिल सं. आर. जे–37–एस. आर–7283 के उपयोग व उपभोग के दौरान दुर्घटना कारित हुई, जिससे उगमाराम की मृत्यु हुई?

–प्रार्थीगण

2. आया अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष विवरण में अंकित तथ्यों का क्या प्रभाव है?

–अप्रार्थीगण

3. आया प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से 18,48,000/–अक्षरे अठारह लाख अड़तालीस हजार रूपये 12 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के अधिकारीगण हैं और यदि हां तो किस–किस अप्रार्थी से कितनी–कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

–प्रार्थीगण

4. अनुतोष ?

7. उक्त विवाद्यकों के संबंध में प्रार्थीगण की तरफ से मौखिक साक्ष्य में ए.ड. 01 गंगा व ए.ड. 02 सुभाष को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 अंतिम प्रतिवेदन, प्रदर्श–02 मर्ग रिपोर्ट, प्रदर्श–03 नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल, प्रदर्श–04 फर्द पंचनामा व मुआयना लाश, प्रदर्श–05 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–06 तुलछाराम का लाईसेंस, प्रदर्श–07 मोटरसाईकिल की आर.सी., प्रदर्श–08 बीमा को प्रदर्शित करवाया गया एवं साक्ष्य प्रार्थीगण बंद की गई।

8. अप्रार्थीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य में गवाह एन.ए.ड. 01 दिनेश मोहिल को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए–01 पुलिस थाना मकराना से प्राप्त पत्र, प्रदर्श एन.ए–02 रोजनामचा रिपोर्ट दिनांक 23.09.2023 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाये गये।

9. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र में

वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि मृतक उगमाराम घटना के दिन मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 पर चालक तुलछाराम के पीछे सवार होकर आ रहा था लेकिन सड़क पर अचानक नीलगाय आ जाने के कारण मोटरसाईकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उगमाराम की दौराने ईलाज एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में मृत्यु कारित हुई। मृतक उगमाराम खेती व पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 40,000/–रूपये कमाता था। मृतक की आय पर प्रार्थीगण आश्रित थे लेकिन मृतक की मृत्यु नीलगाय के अचानक सामने आने के कारण दुघर्टनाग्रस्त होने के कारण हुई, ऐसे में प्रार्थीगण धारा 164 एम.वी. एक्ट के तहत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित क्लेम राशि प्रार्थीगण को दिलवाई जाने का निवेदन किया।

11. अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि मृतक उगमाराम अनाधिकृत रूप से मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 पर सवार था, जिसके संबंध में रिस्क कवर करने बाबत् प्रीमियम, वाहन के मालिक ने बीमा कम्पनी को अदा नहीं किया। दिनांक 23.09.2023 को घटना की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही कोई रोजनामचा उक्त मोटरसाईकिल के बाबत् पुलिस थाना मकराना द्वारा दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण ने सोच–समझकर दिनांक 07.10.2023 को अपने ही जान–पहचान के चालक व मालिक तथा पुलिस से मिलीभगत कर उक्त मोटरसाईकिल को 14 दिन बाद लिप्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अतः प्रार्थीगण/क्लमेंट धारा 164 एम.वी. एक्ट के तहत कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, ऐसे में प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में विवाद्यक बिन्दुओं के आधार पर इस अधिकरण का विनिश्चय निम्नांकित प्रकार से है :–

विवाद्यक संख्या– 01 व 02

13. सुविधा व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने की दृष्टि से उक्त विवाद्यकों का

निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक सं. 01 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर तथा विवाद्यक सं. 02 को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से **मृतक की पत्नी गंगा** को **ए.ड. 01** के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि दुर्घटना आज से करीब ढाई वर्ष पहले समय सुबह करीब साढे पांच छः बजे की है। उसके पति उगमाराम, तुलछाराम के साथ मोटरसाइकिल से मिण्डकिया से मकराना जा रहे थे। मृतक उगमाराम के तुलछाराम ताउ का लडका भाई लगता है। मोटरसाइकिल तुलछाराम की थी, जिसे तुलछाराम ही सडक पर अपनी साईड में चला रहा था। लाला बाबा की ढाणी के पास बनी पानी की खेली के पास होकर जब आगे निकले तब अचानक नीलगाय पानी की खेली की तरफ से आकर मोटरसाइकिल से टकरा गई जिससे उसके पति व तुलछाराम मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए, जिससे उसके पति के शरीर पर जगह जगह काफी गंभीर व अंदरूनी चोटे आई। दुर्घटनास्थल से उसके पति को मकराना अस्पताल लेकर आए, जहां से उसके पति को रैफर कर दिया गया जिस पर उसके पति को एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती करवाया गया जहां पर उक्त दुर्घटना में शरीर पर आई चोटो के कारण उसके पति की तीन दिन बाद मृत्यु हो गई। वह, उसका पुत्र रूपाराम व परिवार के सदस्य उसके पति के साथ ईलाज में व्यस्त थे व ईलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हो जाने से उसके दाह संस्कार, क्रियाकर्म व सदमें में होने के कारण थाने में समय पर रिपोर्ट नही दे सके। उसका पुत्र रूपाराम दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया, तब पुलिस वालो ने कहा कि जयपुर से जीरो नंबरी एफआईआर आने पर देखेंगे। वक्त दुर्घटना उसके पति की उम्र 63 वर्ष थी जो शरीर से स्वस्थ व हष्टपुष्ट थे जो खेती व पशुपालन का कार्य करते थे जिससे प्रतिवर्ष 40,000/–रूपए कमा लेते थे। उसके पति के ईलाज पर करीब 1,00,000/–रूपए का खर्चा हुआ था। रूपाराम उसका पुत्र है, जो अभी नौकरी की तैयारी करता है। निकिता व शिल्पा उसकी पुत्रियां है, जो अभी पढाई करती है। मोटरसाइकिल तुलछाराम पुत्र खुमाराम की थी जिनके भी हल्की चोटे आई थी। उक्त दुर्घटना उक्त मोटरसाइकिल

के उपयोग–उपभोग के दौरान घटित हुई थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उनके कोई कमाने वाला नहीं है। साक्ष्य के दौरान **दस्तावेजी साक्ष्य** में प्रदर्श–01 लगायत प्रदर्श–08 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि ये कहना सही है कि वक्त दुर्घटना वह मौके पर मौजूद नहीं थी और न ही उसने दुर्घटना होते हुए देखी। दुर्घटना की जानकारी उसे परिवार व अन्य लोगो से मिली थी। ये कहना सही है कि उसने उसके पति की आय, आयु व कार्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। ये कहना सही है कि उसने दुर्घटना की रोजनामचा रिपोर्ट पेश नहीं की है। यह कहना सही है कि मोटरसाईकिल तुलछाराम चला रहा था और उसके पति पीछे बैठे थे। उसे जानकारी नहीं है कि उसके पति की ऐवज में बीमा पॉलिसी में उनकी प्रीमियम लिया हुआ है या नहीं। यह कहना सही है कि उसने तुलछाराम की इंजरी रिपोर्ट व मेडिकल के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए हैं, अजखुद कहा कि तुलछाराम के मामूली चोटें आई थी। यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल उसके पति चला रहे हो बल्कि तुलछाराम चला रहा था। यह कहना सही है कि दुर्घटना दिनांक 23.09.2023 की है, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श–01 में दिनांक 07. 10.2023 अंकन है। यह सही है कि प्रार्थी सं. 02 की शादी हो चुकी है तथा प्रार्थी सं. 03 व 04 अवाहित है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना किसी अन्य वाहन से कारित हुई हो और क्लेम लेने के लिए वह झूठे बयान दे रही हो।

14. **गवाह ए.ड. 02 सुभाष** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए कि दुर्घटना दिनांक 23.09.2023 को समय सुबह करीब साढे पांच छ. बजे की है। वह दूध बेचने का कार्य करता है। वह दूध ग्राम मिण्डकिया से खरीदकर वापस मकराना आ रहा था, इस दौरान उसके उसके आगे एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे–37–एसआर–7283 चल रही थी, जिसे तुलछाराम चला रहा था और उगमाराम मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, जो अपनी साईड में चल रहे थे। इस दौरान जब वे लाला बाबा की ढाणी के पास बनी पानी की खेली के पास से होकर जब आगे निकले तब अचानक एक नीलगाय पानी की खेली की तरफ से आकर मोटरसाइकिल से टकरा गई जिससे

उगमाराम व तुलछाराम मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए तब वह अपनी मोटरसाइकिल को उनके पास रोककर देखा तो मिण्डकिया के उगमाराम व तुलछाराम निवासी मिण्डकिया थे फिर उसने उनके परिवार के मूलाराम व रामचन्द्र को फोन करके दुर्घटना की जानकारी दी, जिस पर मूलाराम व रामचन्द्र आए और वे सभी उगमाराम को सीबीएम अस्पताल मकराना लेकर आए जहां से उगमाराम को रैफर कर दिया गया जिनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर ईलाज के दौरान उगमाराम की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल नंबर आरजे 37–एसआर–7283 के उपयोग–उपभोग के दौरान घटित हुई थी। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना उसने नही देखी हो व मृतक के वारिसान को क्लेम दिलाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। वह मोटरसाइकिल के नंबर बता सकता है और तुलछाराम की मोटरसाइकिल के नंबर आरजे 37–एसआर–7283 थे। तुलछाराम की मोटरसाइकिल की स्पीड करीब 40–50 किलोमीटर प्रतिघण्टा थी, अजखुद कहा कि अचानक नीलगाय आ जाने से दुर्घटना कारित हुई थी। ये कहना गलत है कि वक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल मृतक उगमाराम चला रहा हो, अजखुद कहा कि मोटरसाईकिल तुलछाराम चला रहा था। ये सही है कि उगमाराम तुलछाराम की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। ये कहना गलत है कि तुलछाराम मोटरसाइकिल को स्पीड से चला रहा हो अजखुद कहा कि 50–60 किलोमीटर प्रतिघण्टा की स्पीड से चला रहा था। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श 03 बनाया तब वह वहां मौजूद था। ये कहना सही है कि उसने मोटरसाइकिल के नंबर उसी समय देख लिए थे और पता लग गए थे। नक्शा मौका प्रदर्श 03 दिनांक 08.10.2023 को बनाया था। प्रदर्श 03 नक्शामौका बनाया तब उसे मोटरसाईकिल के नंबर नही पूछे थे। ये कहना गलत है कि दुर्घटनास्थल चौराया है, अजखुद कहा कि सीधी सडक है। ये कहना गलत है कि वक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल उगमारान चला रहा हो, जिससे मोटरसाईकिल स्लिफ हो गई हो। यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना किसी अन्य वाहन से कारित हुई हो। वह उगमाराम व तुलछाराम को पहले से जानता है।

15. अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी की ओर से **गवाह एन.ए.ड. 01 दिनेश मोहिल** को परीक्षित करवाया गया, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये कि उक्त प्रकरण में घटना दिनांक 23.09.2023 को घटित हुई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 दिन पश्चात दिनांक 07.10.2023 को दर्ज कराई गई थी। उसे उक्त प्रकरण में बीमा कंपनी ने दुर्घटना दिनांक 23.09.2023 का रोजनामचा निकलवाने हेतु अधिकृत किया था, जिस पर उसने उक्त दिनांक का रोजनामचा निकलवाया था। पुलिस थाना मकराना से प्राप्त पत्र प्रदर्श एनए 01 है और रोजनामचा रिपोर्ट दिनांक 23.09.2023 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श एनए 02 है। उक्त रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श एनए 02 में वाहन संख्या आरजे 37–एसआर–7283 व वाहन चालक का नाम अंकित नहीं है। उक्त प्रकरण में तुलछाराम के मेडिकल संबंधी दस्तावेज पेश नही है। मृतक उगमाराम व तुलछाराम चचेरे भाई है। मृतक उगमाराम के पास किसी भी वाहन को चलाने का वैध लाईसेंस नही था। उक्त मामले में उगमाराम के पास वैध लाईसेंस नही होने के कारण तुलछाराम को चालक के रूप में इम्पलांट किया गया है जिसके लिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दायी नही है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि ये कहना सही है कि उसने तुलछाराम से व्यक्तिगत पूछताछ नहीं की थी। ये कहना सही है कि उसने मौके पर जाकर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की थी, अजखुद कहा कि उसने केवल रोजनामचा निकलवाया था। ये सही है कि वह मौके पर नहीं गया था। ये सही है कि उसने सुभाष विश्नोई से कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं देखी थी। ये सही है कि किसी भी घायल व्यक्ति का पहले ईलाज करवाना जरूरी होता है। उसने अस्पताल जाकर लिखित में कोई जांच नहीं की थी। उसने प्रकरण के प्रार्थीगण से फोन पर पूछताछ की थी, जिसमें केवल गंगादेवी से फोन पर बात की थी। गंगा देवी के फोन नंबर अभी उसके पास नहीं है, संबंधित फाईल में है और वह फाईल वह लेकर नहीं आया। गंगा देवी से उसने दुर्घटना तथा लाईसेंस के संबंध में पूछताछ की थी। उसने गंगा देवी से पूछताछ के संबंध में कोई बयान नहीं लिए थे और न ही अन्य प्रार्थीगण के बयान लिए थे। ये सही है कि अप्रार्थी संख्या 01 तुलछाराम के पास वैध व प्रभावी लाईसेंस था। उसने

किसी गवाह से पूछताछ नहीं की थी। ये सही है कि उसने प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी से पूछताछ नहीं की थी। ये कहना गलत है कि वह बीमा कंपनी का जांचकर्ता होने के कारण बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी से बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो।

16. इस प्रकार अधिकरण के समक्ष परीक्षित हुए गवाह ए.ड. 01 गंगादेवी के कथनों से साबित होता है कि वह घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं है और उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी। गवाह ए.ड. 02 सुभाष, जो कि वक्त घटना मौके पर उपस्थित था अर्थात् उक्त गवाह घटना का चश्मदीद साक्षी है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि दुर्घटना की दिनांक को वह मिण्डिकिया से मकराना आ रहा था, तभी मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 से अचानक नीलगाय टकरा जाने के कारण उक्त मोटरसाईकिल पर सवार तुलछाराम व उगमाराम मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गये, जिससे पीछे सवार उगमाराम की दौराने ईलाज अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना उक्त मोटरसाईकिल के उपयोग–उपभोग के दौराने घटित हुई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित करवाये गये उक्त साक्षी ए.ड. 02 सुभाष के कथनों से साबित है कि वह वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थित था और मृतक उगमाराम, चालक तुलछाराम के पीछे मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 पर सवार था तथा उक्त मोटरसाईकिल के उपयोग–उपभोग करने के दौरान अचानक नीलगाय के आ जाने के कारण मोटरसाईकिल के क्षतिग्रस्त होने से उगमाराम के शरीर पर गंभीर चोटें कारित होने से उगमाराम की मृत्यु कारित हुई थी।

17. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो घटना की मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श–02 है, जो कि मृतक उगमाराम के भतीजे राजेन्द्र कुमार द्वारा दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस थाना मकराना द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–01 पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने अपने अनुसंधान में यह माना है कि घटना की दिनांक को अचानक नीलगाय द्वारा मोटरसाईकिल से टकरा जाने के कारण मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे उगमाराम के सड़क पर नीचे गिरने से रीड की हड्डी में लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने भी अपने अनुसंधान में उक्त दुर्घटना

मोटरसाईकिल के अचानक नीलगाय के द्वारा टक्कर मारने से उक्त मोटरसाईकिल पर पीछे सवार उगमाराम के सड़क पर नीचे गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से घटना घटित होना और दौराने ईलाज उगमाराम की मृत्यु होना माना है, अतः ऐसी स्थिति में क्लेमेंट की ओर से पेश की गई उपरोक्त उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण यह तथ्य अधिकरण के समक्ष साबित करने में सफल रहे हैं कि मृतक की मृत्यु मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर.–7283 पर चालक के पीछे सवार होते हुए नीलगाय के अचानक टक्कर मारने के कारण मोटरसाईकिल सहित नीचे गिरने से उगमाराम के शरीर पर गंभीर प्रकृति की चोटें कारित होने के कारण हुई थी।

18. बीमा कम्पनी की ओर से अपने जवाब में यह बचाव लिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा घटना की दिनांक को कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही कोई रोजनामचा मोटरसाईकिल के संबंध में दर्ज किया गया है बल्कि दिनांक 07.10.2023 को प्रार्थीगण ने अपने जान–पहचान के मालिक, चालक व पुलिस से मिलीभगती करके 14 दिन पश्चात् उक्त वाहन को लिप्त कर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, ऐसे में प्रार्थीगण मोटरसाईकिल नं. आर. जे–37–एस.आर–7283 की बीमा कम्पनी से कोई बीमा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में गवाह ए.ड. 02 सुभाष, जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी है, जिसने बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन कथित किया कि दुर्घटना की दिनांक उगमाराम, तुलछाराम के पीछे मोटरसाईकिल पर सवार था। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से धारा 164 एम.वी. एक्ट के तहत क्लेम प्राप्त किये जाने के बाबत् आवेदन किया गया है। धारा 164 एम.वी. एक्ट **No Fault Liability** के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें चालक की गलती नहीं देखी जाती है। धारा 164 एम.वी. एक्ट के अनुसार उपेक्षा और लापरवाही को साबित करना आवश्यक नहीं होता है। जहां तक कि बीमा कम्पनी की ओर से यह बचाव लिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा घटना की दिनांक को कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही कोई रोजनामचा मोटरसाईकिल के संबंध में दर्ज किया गया है, इस संबंध में बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित गवाह एन.ए.ड. 01 दिनेश मोहिल ने साक्ष्य के दौरान प्रदर्श एन.ए–02 रोजनामचा रिपोर्ट पेश की है, जिसका अवलोकन किया जावे तो उसमें दुर्घटना की दिनांक 23.09.2023 को दुर्घटना की सूचना पुलिस थाना मकराना को दिये जाने का अंकन है, जिससे भी साबित है कि दुर्घटना की दिनांक को मृतक के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा दुर्घटना की सूचना पुलिस थाना मकराना को दी गई थी जिसके संबंध में रोजनामचा प्रदर्श एन.ए–02 दर्ज किया गया था, ऐसे में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 द्वारा जो रोजनामचा के संबंध में बचाव लिया गया है, उससे अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19. चूंकि उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से प्रार्थीगण अपनी साक्ष्य से दुर्घटना उक्त मोटरसाईकिल के उपयोग–उपभोग के दौरान घटित होना, वक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस.आर–7283 के स्वामी व चालक अप्रार्थी

सं. 01 तुलछाराम द्वारा मोटरसाईकिल को चलाया जाने को साबित करने में सफल रहे हैं, साथ ही अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अधिवक्ता बीमा कम्पनी अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं रहे हैं। अतः विवाद्यक सं. 01 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विवाद्यक सं. 02, अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या– 03

20. उक्त विवाद्यक सं. 03 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है, चूंकि उपरोक्त विवेचन से साबित है कि मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस. आर–7283 के उपयोग–उपभोग के दौरान दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें दौराने ईलाज मृतक उगमाराम की मृत्यु कारित हुई है, जिसके संबंध में प्रार्थीगण की ओर से धारा 164 एम.वी. एक्ट के तहत क्लेम प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, इस संबंध में न्यायालय द्वारा धारा 164 एम.वी. एक्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रतिपादित किया गया कि :–

164 मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय —

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हुए, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, **मृत्यु की दशा में पांच लाख रूपए** या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रूपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवाक् या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी निःशक्ततपा जिसकी बाबत् दावा किया गया है यान के स्थायी या संबद्ध यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बाबत् तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के

अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जाएगी।

21. चूंकि हस्तगत प्रकरण में भी उगमाराम की मृत्यु मोटरसाईकिल नं. आर. जे–37–एस.आर–7283 पर पीछे सवार होने के दौरान नीलगाय के मोटरसाईकिल से टकरा जाने के कारण हुई है। धारा 164 एम.वी. एक्ट के प्रकरणों में लापरवाही व उपेक्षा को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि धारा 164 एम.वी. एक्ट में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर ही क्लेमेंट को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाती है, ऐसे में क्लेमेंट धारा 164 एम. वी. एक्ट में वर्णित उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार **कुल 5,00,000/–अक्षरे पांच लाख रूपये** क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विवाद्यक सं. 03 आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक सं. 04 अनुतोष</u>

22. परिणामतः विवाद्यक सं. 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्णतया व विवाद्यक सं. 03 आंशिक रूप से तय किये गये हैं। प्रतिकर हेतु क्षतिपूर्ति की कुल **राशि 5,00,000/–अक्षरे पांच लाख रूपये** निर्धारित की गई है, जिसे प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त राशि पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 10.03. 2024 से 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>:: पंचाट ::</u>

23. फलतः प्रार्थीगण गंगा व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 164 एम.वी. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के विरूद्ध **5,00,000/–अक्षरे पांच लाख रूपये** का अवार्ड पारित किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व यदि बतौर अंतरिम क्षतिपूर्ति कोई राशि प्राप्त कर ली गई हो तो वह राशि उक्त मूल राशि में से कम की जावेगी। शेष क्लेम राशि पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की **दिनांक 10.03.2024 से तावसूली 06** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। खर्चा

पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

24. प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण प्रतिकर राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :–

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	कुल राशि का प्रतिशत	नकद देय राशि बचत खाते के माध्यम से	सावधि खाते में जमा राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में	सावधि की अवधि
1	सरोज	70 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	01 वर्ष
2	रूपाराम	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	01 वर्ष
3	निकिता	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	01 वर्ष
4	शिल्पा	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	01 वर्ष

25. प्रार्थीगण को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अन्तराल से ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओं में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित व अन्तरित व प्रभारित नहीं किया जायेगा।

26. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 6237/2017 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम राज. राज्य व अन्य** में जारी निम्न दिशा–निर्देशों की पालना में :–

1– सभी प्रार्थीगण अपनी पासबुक की प्रति जिसमें बैंक खाते का विवरण हो एवं स्वयं का फोटो बैंक द्वारा सत्यापित हो, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

2– सभी प्रार्थीगण आयकर कटौति हेतु अपने पेनकार्ड की प्रति अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी को सूचित करते हुये अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

3– पंचाट की पालना में अप्रार्थी सं. 02 बीमा कम्पनी इस अधिकरण अर्थात् **MACT MAKRANA के कैनरा बैंक, गौड़ाबास मकराना के चालू खाता संख्या 120026234033** में पंचाट में वर्णित राशि मय ब्याज **RTGS/NEFT** से एक माह में जमा करावे एवं विहित प्रारूप में उसकी सूचना 15 दिवस में अधिकरण में उपलब्ध करावे। साथ ही जमा करवाने की

सूचना की एक प्रति प्रार्थीगण को भी देवे। साथ ही यदि कोई आयकर कटौती की जाती है तो आयकर कटौती का प्रमाण पत्र भी अधिकरण के समक्ष प्रार्थीगण को सूचित कर जमा करावे।

(आशा चौधरी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

27. उक्त अधिनिर्णय आज दिनांक 27.07.2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन